संख्याः– /I/2004/05/3/04

प्रेषकः–

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनाकः 29, सितम्बर, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नोडल ऐजेन्सी तथा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समितियां गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 554/वि0अनु0–1/2004, दिनांक 30.07.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007 तक ग्रामों तथा वर्ष 2009 तक सभी परिवारों के विद्युतीकरण किये जाने के लक्ष्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की बदली हुई परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में तथा सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का विकासखण्डवार/जनपद पर सूचनाओं का संकलन करने हेतु अनुदान के रुप में रु0 18 लाख (रू0 अट्ठारह लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

2– प्रत्येक अनुदान आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2005 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का कार्यवार विस्तृत फॉट का विवरण एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा व्यय/कार्य पूर्ण करने के उपरान्त भी कार्यवार व्यय की फॉट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– आवंटित धनराशि को किसी ऐसी मद जिसके लिये फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, बजट मैनुअल तथा स्टोर पर्चेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो तदानुसार स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।

7– जनपदवार व्यय आवंटित सीमा तक ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी स्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसका वित्त पोषण शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व जिन कार्यो हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा, इस विषय में दिशा निर्देश/फॉट तयकर उसका विवरण जिलाधिकारीयों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

......2

9– स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण–00–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1373/वि0अनु0–3/04, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या:511/I/2004-05/02/04, तद्दिनांक।
3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
3– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
4– समस्त कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3।
6– सचिव, नियोजन विभाग।
7– सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
9– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

C:\My Documents\Apdp_Upcl_Budget.doc

शासनादेश संख्या 51 /1/2004-05/02/04, दिनांक:२१ सितम्बर, 2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

कमांक	मद	जनपद	धनराशि
1	2	3	4
	जिला सैक्टरः–		
1–	ग्रामीण विद्युतीकरण के नियोजन एवं अनुश्रवण कार्यो हेतु नीति बनाया जाना।	नैनीताल	130
		उधमसिंह नगर	100
		अल्मोड़ा	130
		पिथौरागढ़	200
		बागेश्वर	100
		चम्पावत	100
		देहरादून	130
		पौड़ी	350
		टिहरी	130
		चमोली	130
		उत्तरकाशी	100
		रुद्रप्रयाग	100
		हरिद्वार	100
		योगः–	1800

कुल योग रु0 18,00,000.00 (रु0 अट्ठारह लाख मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

C:\My Documents\Apdp_Upcl_Budget.doc